न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवाम0प्र0

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

R. 2423-III/14

1. गिरिजा [illegible] तनय बुलक्कू उम्र 50 साल, पेशा खेती
2. मकूदन (पागल) पिता रामधनी साकेत निवासी मीनो शंकर पुर तहसील त्यौंथर, जिलारीवाम0प्र0 द्वारा सरपरस्त वली पत्नी मीना साकेत नि. शंकरपुर तह. त्योंथर जिला रीवा (म.प्र)

—आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

1. जवाहर साकेत पिता सिपाही साकेत निवासी शंकरगढ़, तहसील त्यौंथर, जिलारीवाम0प्र0
2. म0प्र0शासन

—अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्तागण

राजस्व निरीक्षक चाकघाट, तसील त्यौंथर के प्र0क्र038अ12/13-14 मे पारित आदेश दिनांक20.6.14 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

अनावेदक क्रमांक 1 ने आवेदित आराजी नं. 049/2ख रकवा1.012हे. स्थित सा0शंकर पुर, तहसील त्यौंथर, जिलारीवाम0प्र0 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस सीमांकन से यह निर्णीत किया गया कि आवेदकगणों का अंशभू भाग पर कब्जा है जबकि आवेदित आराजी से संलग्न आवेदकगणों की आराजी नं. 49/4 एवं 49/1 है। और आवेदकगण 00000हमेशा से भूमियो पर काबिज है लेकिन उनके कब्जा दखल को गलत सीमांकन के आधार पर आवेदित आराजी नं. 49/2 ख पर बताया गयाहै जिससे पीड़ित होकर 0निम्न आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत की जारहीहै।

-2-

नि.अं. मीना

गिरिजा [illegible]

कार्यालय स्टैम्प: मिश्रा आज दिनांक 18.07.14 पेश किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 2368 ... द्वारा आज ... को प्राप्त

क्लर्क ... -15 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(129)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2423-तीन/14 जिला रीवां

गिरिजा व अन्य विरूद्ध जवाहर साकेत

1	2	3
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री प्रवेश मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त चाक तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 38/ अ-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20-6-14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवां के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 7-3-19 को कलेक्टर रीवां के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	